



प्रेषक,
अनिल कुमार,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।
सेवा में,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 24 अप्रैल, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्वान्वल एक्सप्रेसवे परियोजना में निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज हेतु सहायता के मद में उपलब्ध धनराशि में से रू० 59,63,51,436.00 की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-194/यूपीडा/08/147, दिनांक 10.04.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-07 लेखा शीर्षक ' '2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 15-यूपीडा द्वारा पूर्वान्वल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) ' ' में प्राविधानित धनराशि रू० 41302.00 लाख में से हुडको से लिये गये ऋण के सापेक्ष दिनांक 01.04.2019 से 30.06.2019 तक रू० 24,55,00,548.00 मात्र के ब्याज की देयता एवं पंजाब नेशनल बैंक से लिये गये ऋण पर दिनांक 01.04.2019 से 30.06.2019 तक ब्याज रू० 35,08,50,888.00 अर्थात् कुल देय ब्याज हेतु धनराशि रू० 59,63,51,436.00 आगणित किया गया है। अतः चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्यय में प्राविधानित उपलब्ध धनराशि में से रू० 59,63,51,436.00 (रूपये उनसठ करोड तिरसठ लाख इक्यावन हजार चार सौ छत्तीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) धनराशि का आहरण कर यूपीडा के बैंक खाते अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
- (2) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
- (3) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुदान संख्या-7 लेखा शीर्षक ' ' 2852-उद्योग 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 15-यूपीडा द्वारा पूर्वान्वल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर ब्याज हेतु सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) ' ' के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार
उप सचिव।

संख्या-20/2019/826(1)/77-3-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
6. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1।
7. गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार
उप सचिव।